

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4677
दिनांक 21.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

मणिपुर में जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन

†4677. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मणिपुर में जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत से लेकर आज तक इसके कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत कुल निधि का ब्यौरा क्या है;
- (ख) 15 अगस्त, 2019 से 28 जुलाई, 2025 के बीच जेजेएम के अंतर्गत 3,33,539 घरों को कार्यात्मक नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए कुल स्वीकृत निधि में से उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) उक्त उपयोग की गई निधि के स्रोतों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से मणिपुर राज्य के ग्रामीण परिवारों सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल कार्यान्वित कर रही है।

जेजेएम की घोषणा के समय, मणिपुर राज्य में 0.26 लाख (5.74%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 18.08.2025 तक, 3.33 लाख से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान

किए गए हैं। इस प्रकार, 18.08.2025 तक, 4.51 लाख ग्रामीण परिवारों में से 3.59 लाख (79.59%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। जेजेएम के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के माध्यम से आबंटित केन्द्रीय निधि, आहरित निधि और मणिपुर राज्य द्वारा संसूचित निधि उपयोग का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	केंद्रीय					राज्य हिस्से के तहत व्यय
	अथशेष	आवंटित निधि	आहरित निधि*	उपलब्ध निधि	संसूचित निधि	
2019-20	-	67.69	91.17	91.17	28.20	6.60
2020-21	62.96	131.80	141.80	204.76	189.14	18.52
2021-22	15.62	481.19	601.19	616.81	474.78	52.80
2022-23	142.03	512.05	256.03	398.06	233.64	26.03
2023-24	164.42	110.54	एनडी	164.42	119.49	18.75
2024-25	44.93	-	-	44.93	33.57	1.33
2025-26	11.36	-	-	11.36	-	-
कुल		1,303.27	1,090.19	1,090.19	1,078.82	124.03

*कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन राशि सहित, यदि कोई हो एनडी: आहरित नहीं स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस
